आदेश को क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की के बारे में टिप्पणी सहित
१	२	३

न्यायालय, उपायुक्त, पाकुड़

अधिहरण वाद सं0–02/2008

सरकार – प्रथम पक्ष

– बनाम –

नारू शेख – द्वितीय पक्ष

आदेश

19.11.2010

यह अधिहरण वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्र संख्या–134, दिनांक– 02.05.2008 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ ने यह प्रतिवेदित किया है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महेशपुर के अनुसार महेशपुर थाना जाकर 200 लीटर किरासन तेल 4 कंटेनर में और छोटा जरकिन में 20 लीटर किरासन तेल जप्त किया था जिसकी जप्ती सूची बनाकर थाना को सुपुर्द किया गया था। यह किरासन तेल श्री नारू शेख के पास बरामद हुआ था। उनसे पूछने पर उनके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उसी आधार पर जप्त किरासन तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6 के तहत अधिहरण का प्रस्ताव दिया गया। इस वाद में प्रतिवादी को भी कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु निदेश किया गया। इसके बाद विधिवत सुनवाई भी की गयी।

सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि 220 लीटर किरासन तेल 2 स्वतंत्र ग्वाहों के सामने जप्त किया गया था और उसका व्यवसाय करने एवं वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति जरूरी था जो प्रस्तुत नहीं किया गया। इस आधार पर सरकारी पक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि जप्त किरासन तेल पर विपक्षी का कोई अधिकार नहीं है और इसे खुले बाजार में बेचने के उद्देश्य से ले जा रहे थे। प्रथम पक्ष ने किरासन तेल को सरकारी दर पर बेचकर प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करने का अनुरोध किया है। विपक्षी के अधिवक्ता के कारण पृच्छा को देखने से स्पष्ट है कि जप्त सामग्री पर उनके द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है। विपक्षी का यह भी कहना है कि उनके ठेला पर कई प्रकार के यात्री बैठते हैं और किस यात्री का कौन सामान है, उसकी जिम्मेवारी वे नहीं लेते हैं। जप्त किरासन तेल के संबंध में विपक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि किरासन तेल उनका नहीं है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
	२	३
	अतः दोनों पक्षों द्वारा समर्पित बहस और अभिलेख में मौजूद उनके दस्तावेजी के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जप्त सामग्री सरकारी है जो जन–वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए थोक विक्रेताओं को दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में 220 लीटर किरासन तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6 ए के तहत् अधिहरित करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि जन–वितरण प्रणाली की दूकान के माध्यम से इसे बिक्री कराकर विक्रय राशि को संबंधित शीर्ष में एक सप्ताह के अन्दर जमा करें और चालान की एक प्रति न्यायालय में भी दें। इस आदेश की प्रतिलिपि महेशपुर, थाना को भी उपलब्ध करायी जाय। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त पाकुड़ 19/11/10 उपायुक्त पाकुड़	ज्ञापांक-2010 B. 22/11/10 Seen 23.11.10

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.07 14:26:34 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner